

छत्तीसगढ़ शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 26/03/2026

क्रमांक एफ 2-01/2026/दो-गृह/भापुसे : श्री रतन लाल डांगी, भापुसे (2003) द्वारा पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के गरिमापूर्ण पद पर पदस्थ रहते हुए, पद के अनुरूप आचरण का प्रदर्शन न करते हुए अशोभनीय एवं नैतिकता के प्रतिकूल आचरण प्रदर्शित करना, अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग करना तथा स्थापित सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3(1-क) (i) एवं नियम (2-ख) (vii) नियम 17-क (दो) का उल्लंघन करना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। श्री रतन लाल डांगी का उक्त कृत्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मिडिया में प्रसारित एवं प्रचारित हुआ है, जिसके कारण सामान्य जनमानस एवं समाज में पुलिस की छवि धूमिल हुई। ऊपर लिखे अनुसार अनैतिक कृत्य के लिए श्री रतन लाल डांगी, भापुसे व्यक्तिगत स्तर पर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, ऐसा प्रतीत होता है। जिसके कारण उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री रतन लाल डांगी, भापुसे (2003) पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3 (1) (a) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि में श्री रतन लाल डांगी, भापुसे (2003) का मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री रतन लाल डांगी, भापुसे (2003) को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा वे निलंबन अवधि में सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार
Digitally signed by
DHURSINGH DHRUVE
Date: 26-03-2026
15:24:47

(डी.एस.ध्रुवे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
गृह (पुलिस) विभाग

नवा रायपुर दिनांक 26/03/2026

पृ.क्र. एफ 02-01/2026/दो-गृह/भापुसे,

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिक्कायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

क्रमशः2



3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
 4. सचिव, माननीय राज्यपाल, लोकभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
 6. विशेष सहायक, माननीय गृहमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 7. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 8. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।
 10. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पाइंट, विधानसभा मार्ग, रायपुर।
 11. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन/छसवल/गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।
 12. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
 13. श्री रतन लाल डांगी, भापुसे (2003), पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।
 14. व्यक्तिगत नस्ती लिपिक/पीएआर लिपिक
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर

Digitally signed by
DHURSINGH DHRUVE
Date: 26-03-2026
15:25:58

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
गृह (पुलिस) विभाग